न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी-गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 205 सन् 2018

पंजीयन दिनांक :- 23.08.2018

1. बोतलाल पिता नानूराम सुथार निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ

-अपीलांट

विरूद्ध

1. रमेशचन्द्र पिता नाथूलाल सुथार निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ हाल वेदवती स्कूल के पास, भीलवाडा
2. मनीष पिता रतनलाल सेठिया निवासी बजरंगपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
3. ग्राम पंचायत सावा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ
प्रकरण संख्या 258/2016 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018

वक्त बहस उपस्थित- 1. छोगालाल जाट- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. राकेशपुरी गोस्वामी- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4

निर्णय **दिनांक :- 22.06.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सावा की खसरा संख्या 402 रकबा 0.57 हैक्टेयर कृषि आराजी अपीलांट वादी ने खातेदार नाथूलाल पिता परथा निवासी सावा से 14,000/- रूपये में दिनांक 12.04.1987 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं मांगीलाल सुथार से लिखापढी करवाकर साक्षीगणों के हस्ताक्षर करवाये। दिनांक 24.03.1990 तक सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर रजिस्ट्री बाद में करवा देने की बात लिखवाकर विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। बाद में विक्रेता नाथूलाल सुथार बिना कहे कही चले गये। प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट ने अपने पिता की सिविल डेथ सिविल न्यायालय चित्तौड़गढ से दिनांक 07.05.2016 को जरिये डिक्री घोषित करवाकर अपने नाम नामान्तरण खुलवा लिया। विवादित कृषि आराजी विक्रय की लिखापढी बही में मौजूद है

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

जिसके आधार पर एवं 29 वर्ष से बेरोकटोक अपीलांट वादी काबिज होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा की जाने की डिक्री पारित की जावें।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वाद अपीलांट वादी की साक्ष्य में नियत रहते हुए उक्त पत्रावली दिनांक 05.06.2018 को लोक अदालत केम्प सावा में नियत की जाकर वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए वाद वादी निरस्त कर दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की।

अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित एवं रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलांट वादी द्वारा अपील अन्दर मियाद मानते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जो विश्वास करने योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपील अन्दर म्याद मानकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सावा की खसरा संख्या 402 रकबा 0.57 हैक्टेयर कृषि आराजी अपीलांट वादी ने खातेदार नाथूलाल पिता परथा निवासी सावा से 14,000/- रूपये में दिनांक 12.04.1987 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं मांगीलाल सुथार से लिखापढी करवाकर साक्षीगणों के हस्ताक्षर करवाये। फर्दन-फर्दन दिनांक 24.03.1990 तक सम्पूर्ण राशि चुकता कर दी एवं रजिस्ट्री बाद में करवा देने की बात लिखवाकर विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। बाद में विक्रेता नाथूलाल सुथार बिना कहे कही चले गये। प्रतिवादी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट ने अपने पिता की सिविल डेथ सिविल न्यायालय चित्तौड़गढ से दिनांक 07.05.2016 को जरिये डिक्री घोषित करवाकर अपने नाम नामान्तरण खुलवा लिया। विवादित कृषि आराजी विक्रय की लिखापढी बही में मौजूद है जिसके आधार पर एवं 29 वर्ष से बेरोकटोक अपीलांट वादी काबिज होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा की जाने की डिक्री पारित की जावें। पत्रावली अपीलांट वादी की साक्ष्य में नियत रहते हुए दिनांक 05.06.2018 को लोक अदालत केम्प सावा में नियत की जाकर वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए वाद वादी निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी वादी को अपने ओर से साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। लोक अदालत केम्प में कोई लिखित राजीनामा नही हुआ। बिना किसी राजीनामा के बिना साक्ष्य सबूत लिये वाद खारिज कर देना लोक अदालत की भावना के तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से पारित निर्णय

व डिक्री निरस्तनीय होकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट वादी लोक अदालत केम्प सावा में दिनांक 05.06.2018 को स्वयं उपस्थित हुये। उनकी मौजूदगी में ही वाद वादी निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया था। अनुबंध पत्र के अपंजीकृत होने के कारण दावा निरस्त किया गया। अनुबंध की पालना सिविल कोर्ट द्वारा ही करवाई जा सकती है। मौके पर अपीलांट वादी का कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी निरस्त करते हुये पारित किये गये निर्णय व डिक्री विधि अनुकूल है जिसे यथावत रखा जावें।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र घोषणात्मक डिक्री चाहने हेतु प्रस्तुत किया। प्रस्तुत वाद अपीलांट वादी की साक्ष्य में नियत रहते हुए उक्त पत्रावली दिनांक 05.06.2018 को लोक अदालत केम्प सावा में नियत की जाकर वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए वाद वादी निरस्त कर दिया गया। आदेशिका अनुसार अपीलांट वादी लोक अदालत में उपस्थित हुये जिन्होंने वक्त सुनवाई किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं किया न ही साक्ष्य हेतु अवसर चाहा। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रकरण संख्या 258/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावें।

22/06/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- गितेश श्री मालवीय, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 205/2018/डिक्री पंजीयन दिनांक 23.08.2018

1. बोतलाल पिता नानूराम सुथार निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ

-अपीलान्ट

बनाम

1. रमेशचन्द्र पिता नाथूलाल सुथार निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ हाल वेदवती स्कूल के पास, भीलवाडा
2. मनीष पिता रतनलाल सेठिया निवासी बजरंगपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
3. ग्राम पंचायत सावा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ

-रेस्पोडेन्टस

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौड़गढ प्रकरण संख्या 258/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2018 अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 22.06.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता राकेशपुरी गोस्वामी, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पूरणमल स्वर्णकार की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि-

अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रकरण संख्या 258/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,..... — ..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... — ..... द्वारा दिये जाने हैं ।

यह आज दिनांक **22.06.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

22/06/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ